गोकुल महोत्सव कार्यक्रम
वर्ष 2017–18
दिनांक 28 अक्टूबर से 30 नवम्बर 2017

पशुपालन विभाग मध्य प्रदेश

गोकुल महोत्सव कार्यक्रम की रूपरेखा

पशुपालन शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में पशु पालकों को आजीविका का साधन उपलब्ध कराता है। ग्रामीण क्षेत्रों में पशु पालक आजीविका के लिए पशु पालन पर ही निर्भर करते हैं। प्रदेश में पशुधन विशाल संख्या में उपलब्ध है। पशु पालन को अधिक लाभप्रद बनाने एवं ग्रामीण क्षेत्रों में पशु पालकों को प्रोत्साहन प्रदान करने हेतु प्रदेश में गोकुल महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है।

गोकुल महोत्सव 2017–18 के अंतर्गत प्रदेश के समस्त जिलों में ग्राम स्तर पर विभागीय पशु चिकित्सा शिविरों का आयोजन दिनांक 28 अक्टूबर से दिनांक 30 नवम्बर 2017 की अवधि में किया जाएगा।

➢ गोकुल महोत्सव के उद्देश्य :–

1. पशुपालकों के पशुओं को उनके क्षेत्र में पशु चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना।
2. पशुओं की विभिन्न बीमारियों से बचाव हेतु पशुओं में बीमारियों का प्रतिबंधात्मक टीकाकरण कराना।
3. नस्ल सुधार के उद्देश्य से ग्राम के निकृष्ट साड़ों का बधियाकरण करना।
4. गाय–भैंसों में बॉझपन के निवारण हेतु उपचार करना।
5. ग्राम के पशुओं को कृमिनाशक औषधियॉ देकर कृमि से होने वाले नुकसान से बचाव करना।
6. पशुपालकों को विभागीय गतिविधियों/हितग्राही मूलक योजनाओं की जानकारी उपलब्ध कराना।
7. विभागीय हितग्राही मूलक योजनाओं के प्रकरण तैयार करना।
8. कृत्रिम गर्भाधान कार्य।
9. पशु बीमा कार्य।
10. पशुपालकों को उन्नत पशुपालन/पशु प्रबंधन की जानकारी देना।
11. स्टॉल फीडिंग (पशुओं को बांधकर खिलाने) का महत्व समझाना।
12. पशुपालकों को उन्नत नस्ल का चारा, उसका प्रबंधन एवं उत्पादन के संबंध में जानकारी प्रदान करना।
13. ग्रीष्म ऋतु में चारे की अल्पता से निपटने के लिए चारा संरक्षण हेतु हे एवं साईलेज बनाने की विधियों पर जानकारी प्रदान करना।
14. पशु को पोष्टिक आहार देने हेतु चारे/भूसा के यूरिया उपचार की जानकारी प्रदान करना।
15. अधिकतम उत्पादन एवं पशु के स्वास्थ्य के लिए संतुलित पशु आहार की जानकारी उपलब्ध कराना।

➢ गोकुल महोत्सव के अंतर्गत सम्पादित की जाने वाली गतिविधियॉः–

गोकुल महोत्सव के अंतर्गत जिले के सभी ग्राम में पशु चिकित्सा शिविरों का आयोजन किया जाएगा। शिविर में निम्नानुसार गतिविधियॉ सम्पादित की जाएगी :–

1. पशु उपचारः–

शिविर मे आने वाले रोग ग्रस्त सभी प्रकार के छोटे–बड़े पशु, पक्षियों आदि को चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाएगी। रोगों से ग्रस्त पशुओं का इलाज किया जाएगा। साथ ही पशुओं मे बांझपन निवारण हेतु चिकित्सा प्रदान की जाएगी।

2. लघु शल्य क्रियाः–

पशुओं में पशुओं की छोटी–छोटी ब्याधियॉ, लघु शल्य क्रिया के माध्यम से दूर की जा सकती हैं। अतः इन शिविरों में लघु शल्य क्रिया भी की जाएगी।

3. टीकाकरणः–

शिविर मे विभिन्न संक्रामक बिमारियों से बचाव हेतु पशुओं को टीका लगाने का कार्य किया जाएगा। जिसके अंतर्गत एच.एस.,बी.क्यू.,एफ.एम.डी.,पी.पी.आर. एवं रेबीज आदि के टीके लगाने का कार्य टीका उपलब्धतानुसार किया जाएगा।

4. बधियाकरणः–

नस्ल सुधार हेतु निकृष्ट नस्ल के पशुओं का बधियाकरण आवश्यक है। शिविर में आने वाले छोटे–बड़े पशुओं का परीक्षण कर बधियाकरण का कार्य किया जाएगा।

5. बॉझ पशु उपचारः–

पशुओं का बॉझपन पशुपालकों के लिए एक बहुत बड़ी समस्या होती है जिसके कारण पशुपालक को दूध, बछड़े, चारे के रूप में आर्थिक हानि होती है। इस समस्या के निदान हेतु शिविरों में बॉझ पशुओं का भी उपचार किया जाएगा ताकि वे शीध्र गर्भित होकर पशुपालक को आर्थिक लाभ दे सकें।

6. कृत्रिम गर्भाधानः–

शिविर में आने वाले पशुओं में उपयुक्तानुसार कृत्रिम गर्भाधान का कार्य शुल्क लेकर किया जाएगा। साथ ही गर्भ परीक्षण का कार्य भी किया जाएगा।

7. दवा वितरणः–

शिविर में आने वाले पशुओं को चिकित्सा प्रदान करते हुए दवा दी जाएगी। पशुपालक द्वारा शिविर में पशु न लाने की स्थिति में उनके पशुओं के उपचार हेतु घर जाकर साधारण दवाऐं यथा कृमिनाशक दवा आदि का वितरण कार्य किया जाएगा।

8. योजनाओं के अंतर्गत हितग्राही के प्रकरणः–

विभागीय हितग्राही मूलक योजनाओं के अंतर्गत पात्रता अनुसार हितग्राहियों के प्रकरण बनाने का कार्य सम्पादित किया जाएगा।

9. पशु बीमाः–

पशु बीमा से संबंधित जानकारी देना तथा पशुओं का बीमा करना।

10. विभागीय योजनाओं का प्रचार–प्रसारः–

शिविर में हितग्राही मूलक योजनाओं की जानकारी पशुपालकों को प्रदान की जाएगी तथा पंम्पलेट्स/ब्रोशर के वितरण एवं लघु फिल्मों के प्रदर्शन का कार्य किया जाएगा। पशुपालको में जागरूकता लाने हेतु उन्नत पशुपालन, पशु प्रबंधन, चारा संरक्षण, संतुलित आहार, चारे/भूसा के यूरिया उपचार एवं स्टाल फीडिंग आदि के महत्व से संबधित जानकारी प्रदान की जाएगी जिससे अधिक से अधिक संख्या मे पशुपालक लाभान्वित हो सकें।